आयुष्मान भारत, मध्यप्रदेश
दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद
प्रथम तल, आई.ई.सी. ब्यूरों,
जय प्रकाश अस्पताल परिसर, भोपाल

क्रमांक/इ.ओ/आयु.भा/2018/ 54 भोपाल, दिनांक 14/9/18

//आदेश//

आयुष्मान भारत म.प्र के लिए I.P.D होने के पश्चात प्रकरण में Preauthorization किया जाना होगा जिसके लिए I.S.A के द्वारा उक्त प्रकिया की जावेगी । वर्तमान में I.S.A की नियुक्त प्रकियाधीन होने से तथा उनके कियाशील होने तक, Preauthorization के लिए निम्नानुसार प्रकिया रहेंगी :–

1/ शासकीय चिकित्सा हेतु Deemed Preauthorization रहेगा ।

2/ शासकीय चिकित्सा महाविघालय हेतु Deemed Preauthorization रहेगा ।

3/ निजि चिकित्सालय एवं N.G.O अथवा Trust के लिए Preauthorization हेतु जिला चिकित्सालय बोर्ड आदेश कमांक 3172/345/XVII.Med-IV/75 भोपाल दिनांक 27.08.1975 द्वारा गठित हैं उनको अधिकृत किया जाता है।

बन्दु न0 03 के लिए प्रकिया निम्नानुसार रहेगी :–

1/ जिला मेडिकल बोर्ड जो वर्तमान में सप्ताह में एक दिन बैठक करता है, आवश्यकता पड़ने पर बीमारियों के आवेदन अनुसार प्रतिदिन सम्पादित करना पड़ सकता है। आवश्यता अनुसार बोर्ड के अध्क्षक बैठक के दिनों का निर्धारण करेंगे।

2/ उक्त कार्य हेतु जिला मेडिकल बोर्ड का समय O.P.D के समय के पश्चात निश्चित करना उचित होगा , ताकि चिकित्सकों का चिकित्सीय कार्य प्रभावित न हो। उदहारण के लिए जैसे की दोपहर में 02:00 से 04:00 बजे तक या शाम को 06:00 बजे के पश्चात ।

3/ जिला में मेडिकल बोर्ड गठित समिति में पदस्थ सदस्यों के अलावा यदि अन्य विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है तो बोर्ड अन्य विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते है। विशेषज्ञ की उपलब्धता न होने की स्थिति में सेवा निवृत्त शासकीय विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जा सकता है।

4/ मेडिकल बोर्ड बीमारी के निर्धारित पैकेज अनुसार Preauthorization तय करेंगे।

5/ आवेदक की बीमारी से संबंधित समस्त आवश्यक जांच एवं रिपोर्ट भी उपचार करने के पूर्व संबंधति चिन्हांकिंत निजी चिकित्सालय द्वारा अपलोड करनी होगी।

6/ संबधित निजि अस्पतालों से प्रकरण प्राप्त होने पर उनका Preauthorization की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही Preauthorization का गठित बोर्ड के सदस्यों को निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।

प्रत्येक प्रकरण हेतु 50 रू प्रति चिकित्सक Preauthorization हेतु आयुष्मान भारत म.प्र के मद से प्रदान किया जावेगा ।

7/ उपरोक्त समस्त कार्य हेतु किसी भी मरिज से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

Ruhi 14/9/18

(रुही खान)
अपर संचालक सह
कार्यपालन अधिकारी

पृष्ठा क्रमांक/इ.ओ/आयु.भा/2018/ 55 भोपाल, दिनांक 14/9/18

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला कियांवयन इकाई/नोडल अधिकारी /जिला मलेरिया अधिकारी आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश।
7. संचालक, स्वास्थ्य शिक्षा

Ruhi
अपर संचालक सह
कार्यपालन अधिकारी